न्यायालय सिविल जज सी0डि0 / त्वरित न्यायालय, कौशाम्बी।

अंतिम रिपोर्ट वाद संख्याः–102 / 2020

शारदा प्रसाद बनाम गोपाल आदि

मु0अ0सं0–262 / 2019
धारा–330,347,352,355,504,506,406,420 भा.दं0सं0
थाना–पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी।

18.01.2024–

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–330,347,352,355,504,506,406,420 भा0दं0सं0 प्रस्तुत करके याचना की गयी है कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाये।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण सिविल प्रकृति एवं खेत बेचने के पैसे के लेनदेन का है और उक्त विवाद के संबंध में वादी एवं विपक्षीगण के मध्य पंचायत भी गॉव में हुयी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या की पूर्ण रूपेण जानकारी है। पत्रावली पर गवाहों द्वारा शपथ पत्र भी पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को सम्बोधित दाखिल किया गया है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– आदेश –:

अन्तिम रिपोर्ट संख्या–102 / 2020, स्वीकार की जाती है। पत्रावली अभिलेखागार में नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 18.01.2024

(मेघा अग्रवाल),
सिविल जज सी0डि0 /
त्वरित न्यायालय, कौशाम्बी।
आई0डी0नं0,यू0पी0–2501